प्रेस विज्ञप्ति **बिजनौर पुलिस** **दिनांक 26.08.2020**

थाना मण्डावर पुलिस द्वारा फेसबुक पर हिन्दू धर्म आराध्य देव भगवान श्रीराम के सम्बन्ध में अमर्यादित/अशोभनीय टिप्पणी करने वाला अभि0 24 घंटे के अन्दर गिरफ्तार।

दिनांक 25.08.2020 को श्री संकित राठी जिला उपाध्यक्ष हिन्दू युवा वाहिनी बिजनौर ने थाना मण्डावर पर लिखित तहरीर दी कि मौहम्मद सलमान पुत्र कलवा निवासी मौहल्ला जोशियान थाना मंडावर जनपद बिजनौर ने अपने फेसबुक अकाउंट से हिन्दुओ के आराध्य देव भगवान श्रीराम के सम्बन्ध में अमर्यादित/अशोभनीय टिप्पणी की जिससे हिन्दुओ की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है।

उक्त संबंध मे श्री अंकित राठी की तहरीर पर थाना मंडावर पर मु0अ0सं0 193/20 धारा 295क भादवि व धारा 67क आई टी एक्ट बनाम मौहम्मद सलमान उपरोक्त पंजीकृत कर अभियुक्त सलमान उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है।

गिरफ्तार अभि0 का नाम व पता:–

1– मौहम्मद सलमान पुत्र कलवा निवासी मौहल्ला जोशियान थाना मंडावर जनपद बिजनौर ।

बरामदगी:–

1– घटना में प्रयुंक्त मोबाईल फोन

थाना मण्डावरः– आज दिनॉक 26.08.2020 को थाना मण्डावर पुलिस द्वारा अभि0 सोनू पुत्र शोसिंह निवासी ग्राम देवलगढ़ थाना मण्डावर जनपद बिजनौर को 20 लीटर अवैध शराब सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना मण्डावर पर मु0अ0सं0 194/20 धारा 20 आबकारी अधि0 पंजीकत किया गया।

थाना को0देहातः– आज दिनॉक 26.08.2020 को थाना को0देहात पुलिस द्वारा अभि0 फरमान पुत्र मौ0 निसार निवासी रजा कॉलौनी थाना को0देहात को 01 तमन्चा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना को0देहात पर मु0अ0सं0 230/20 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत किया गया।

थाना हीमपुरः– आज दिनॉक 26.08.2020 को थाना हीमपुर पुलिस द्वारा अभि0 जोगेन्द्र उर्फ पोलो पुत्र राजपाल सिंह निवासी ढोलनपुर थाना हीमपुर को 20 लीटर अवैध शराब सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना हीमपुर पर मु0अ0सं0 132/20 धारा 60 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया।

थाना हीमपुरः– आज दिनॉक 26.08.2020 को यूपी 112 पुलिस द्वारा अभि0 नीरज पुत्र गजराज निवासी ग्राम भवानीपुर थाना हीमपुर को मय 01 तमन्चा 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना हीमपुर पर मु0अ0सं0 131/20 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत किया गया।

बैक चेकिंगः- पुलिस अधीक्षक बिजनौर के निर्देशन में समस्त थाना प्रभारी मय फोर्स के सभी बैंकों को चैक कर बैंक में आने वाले लोगों को कोविड-19 से बचाव हेतु मास्क लगाने तथा कैश जमा/निकासी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील की।

नोटः– कोरोना वायरस के दृष्टिगत शासन द्वारा जारी गाईडलाईन के अनुरूप कोई जुलूस न निकाले जाने तथा त्योहारों को अपने–अपने घर में मनाने हेतु पुलिस अधीक्षक बिजनौर के निर्देशन में कस्बा बढ़ापुर, स्योहाराव किरतपुर द्वारा अपने–अपने क्षेत्र में शान्ति समिति की मीटिंग की गयी।